

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 114

/2019

दिनांक 17.12.2019

श्रीमती शैला फौजदार (RJ0874), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) को दिनांक 03.01.2020 से 01.02.2020 तक 30 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री युधिष्ठिर मीना (RJ1133), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, हिण्डौन सिटी (करौली) को श्रीमती शैला फौजदार के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्री युधिष्ठिर मीना (RJ1133), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

17.12.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/43/2015/ 11090

दिनांक 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 6641 दिनांक 02.12.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती शैला फौजदार (RJ0874), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।
5. श्री युधिष्ठिर मीना (RJ1133), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, हिण्डौन सिटी (करौली)।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, हिण्डौन सिटी (करौली)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार